राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा-2018/ 539 दिनांक : 30-01-2018

मुख्य परीक्षा 2018 के परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के निम्नांकित पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा-2018 के परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.rrbmuniv.ac.in** पर भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है :

क्र. सं.		पाठ्यक्रम	बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क रू. 100/- सहित
1.	(i)	बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास कोर्स/आनर्स) पार्ट-I के पूर्व छात्र	03.02.2018 से 10.02.2018 तक	11.02.2018 से 15.02.2018 तक
	(ii)	बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास कोर्स/आनर्स) पार्ट-II के नियमित, स्वयंपाठी एवं पूर्व छात्र		
	(iii)	बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास कोर्स/आनर्स) पार्ट-III के नियमित एवं स्वयंपाठी		
2.	(i)	बी.बी.ए., बी.सी.ए. पार्ट-I पूर्व छात्र		
	(ii)	बी.बी.ए., बी.सी.ए. पार्ट-II नियमित एवं पूर्व छात्र		
	(iii)	बी.बी.ए., बी.सी.ए. पार्ट-III नियमित छात्र		
3.	(i)	स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के पूर्व छात्र एवं अंक सुधार		
	(ii)	स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के नियमित, स्वयंपाठी, पूर्व छात्र एवं अंक सुधार		

क्र. सं.		पाठ्यक्रम	विलम्ब शुल्क रू. 200/- सहित
1.	(i)	बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास कोर्स/आनर्स) के पार्ट-I नियमित एवं स्वयंपाठी एवं बी.सी.ए., बी.बी.ए. पार्ट-I के नियमित परीक्षार्थी	03.02.2018 से 07.02.2018 तक
	(ii)	समस्त स्नाकोत्तर पूर्वार्द्ध (वार्षिक पद्धति) नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी	
2.	(i)	समस्त एकवर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज- डीएलएल, डी.लिब.	

सामान्य निर्देश

1. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा।
2. परीक्षा फार्म दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक भरें।
3. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा फार्म में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना है।
4. महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फार्म अग्रेषित करने सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश देखें।
5. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष सुनिश्चित कर लें।
6. जिन छात्रों का पुनर्मूल्याकंन परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए पात्रता रखते है, उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म को अगली उच्च कक्षा में नियमानुसार परिवर्तित करने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा।

Scanned by CamScanner

7. परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मो को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः निर्धारित समय में सम्बन्धित महाविद्यालय में ही परीक्षा फार्म जमा करायें। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फार्म ही स्वीकार होंगे।

8. विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा-2017 में परीक्षा दे चुके परीक्षार्थी पिछली कक्षा के अनुक्रमांक से परीक्षा फार्म भर सकेंगे। शेष परीक्षार्थी फ्रेश फार्म भरे। विस्तृत निर्देशों का अवलोकन करें।

9. स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर भूगोल परीक्षा में जो स्वयंपाठी परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय का चयन करें। उन्हें पूर्व विज्ञप्ति क्रमांक राऋभमवि/अल/परीक्षा/2017/6119 दिनांक 09.11.2017 के अनुसार निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करवायें। तत्पश्चात् प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें। अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

10. परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.rrbmuniv.ac.in** पर उपलब्ध है। परीक्षा सम्बन्धी कतिपय नियमों के लिए परिशिष्ट 'अ' देखें। विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/ परिनियम/ आर्डिनेन्स राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाईट **www.uniraj.ac.in** पर उपलब्ध है, जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप में लागू है।

11. **परीक्षार्थी आवेदन पत्र निर्देश को भली-भांति पढकर ही भरें। यदि परिक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार नही भरा जाता है तो आवेदन पत्र/ परीक्षा निरस्त होने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**

नोट :- परीक्षा फार्म भरने सम्बन्धी समस्या के लिए टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 0144 2730321, 27 पर सम्पर्क कर सकते है।

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा-2018/ 539- 545 ***दिनांक :*** 30.01.2018

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-</u>

1. (i) समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म सही है एवं दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा-निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.rrbmuniv.ac.in** एवं **www.univindia.org** पर उपलब्ध **है। विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।**

(ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट प्रथम एवं स्नातकोतर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों पर आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्यो द्वारा परीक्षा फार्मों के साथ संलग्न करना होगा।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य सुनिश्चित कर लें। इस सम्बन्ध में किसी भी अनियमितता के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय जिम्मेदार रहेंगे।

(iv) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क रू. 8 प्रति छात्र सम्बन्धित महाविद्यालयों को देय होगा।

(v) सम्बन्धित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी है। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे - परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किये गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्तांको का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते है तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन-पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रखे तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अंकतालिकाएं आदि संलग्न हों। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेदार होगा।

Scanned by CamScanner

2. प्रभारी, आई.टी., राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
3. वित्त नियंत्रक, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करे कि परीक्षा-2018 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का श्रम करें।
4. मीडिया प्रभारी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार अलवर जिले में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
5. प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक, अलवर।
6. निजी सचिव, माननीय कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/अकादमिक-।।/सेलर, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड शाखा, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
8. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

परीक्षा नियंत्रक

Scanned by CamScanner